

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति याद संख्या :-180 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सेना भेंगरा.....आवेदक / विक्रेता

बनाग

मुन्नी पाहन.....विपक्षी / क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

07.12.2023

आदेश

आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सेना भेंगरा पिता/पति स्व० निवय भेंगरा ग्राम-सिम्बुकेल, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है।

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)
सिम्बुकेल	76	03	271	0.07

आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सेना भेंगरा पिता/पति स्व० निवय भेंगरा ग्राम-सिम्बुकेल, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती मुन्नी पाहन पिता/पति स्व० हिन्दु पाहन ग्राम-गड़ीगाँव, वारेडीह, पो०-मरांगहादा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाण पत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 0254087947 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि में किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 829 दिनांक 08.11.2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका का खतियानी भूमि है, खतियानी रैयत का नाम एतवा मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयत में से एक चमरा मुण्डा के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 2 पर जमाबंदी दर्ज है।

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने



हेतु विक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 1350 दिनांक 29.04.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2021/44383 दिनांक 18.02.2023 वी आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHLRCO/2021/109916 दिनांक 19.02.2021 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 829 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती सेना भेंगरा पिता/पति स्व० निबय भेंगरा ग्राम-सिम्बुकेल, पो०-अनिगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती मुन्नी पाहन पिता/पति स्व० हिन्दु पाहन ग्राम-गड़ीगाँव, बारेडीह, पो०-मरांगहादा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम सिम्बुकेल के खाता सं० 03 खेसरा संख्या 271 रकबा 0.07 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।